

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15 (2) 2016 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुवसं /

दिनांक

कार्यालय आदेश

वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2015-16 के अन्तर्गत नवनियुक्त वनरक्षकों को पुलिस प्रशिक्षण संस्थान अलवर में प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में इस कार्यालय के जारी आदेश सम क्रमांक 135-54 दिनांक 04.01.2017 द्वारा दिनांक 16.01.2017 के स्थान पर दिनांक 30.01.2017 से वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के संशोधित आदेश एतद द्वारा प्रचलित किए जाते हैं।

संभागीय मुख्य वन संरक्षकों के अधीन संबंधित उप वन संरक्षकगण उनके कार्यालय में संबंधित नामांकित प्रशिक्षु वनरक्षकों प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व दिनांक 29.01.2017 को पुलिस प्रशिक्षण संस्थान अलवर में उपस्थिति देने हेतु भार मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

हस्ता.

(दीपक भटनागर)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (2) 2016 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुवसं / 439-44 दिनांक 20-01-2017  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 347 दिनांक 12.01.2017 के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि वे उक्तानुसार प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व पुलिस प्रशिक्षण संस्थान अलवर की आवश्यक तैयार शीघ्र पूर्ण करावे ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारु रूप से आरंभ करवाया जा सके।
2. पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, अलवर।
3. उप वन संरक्षक, वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर।
4. संबंधित मुख्य वन संरक्षकगण।
5. संबंधित उप वन संरक्षकगण।
6. रक्षित पत्रावली।

(डी.पी.जागावत)

उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान जयपुर